**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

# IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

## Mutation Revision No.- 99/2022

Prabha Devi & Anr ..... Petitioners.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 19.10.2023 | **आदेश**<br><br>प्रस्तुत Mutation Revision न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा लगान निर्धारण अपील वाद सं0–08/2018–19 में दिनांक–15.03.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।<br><br>उभय पक्षों को वाद के पोषणीय बिंदु पर सुना गया। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत वाद बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 की धारा 7 (a) सह पठित Bihar Board's Miscellaneous Rules 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दायर किया गया है।<br><br>अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका द्वारा अपर समाहर्त्ता, किशगनंज द्वारा भू–लगान निर्धारण में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। उक्त आदेश के अंतिम पूर्व कंडिका में नगरपालिका सर्वे खाता सं0–175, खेसरा सं0–756 की आधे–आधे हिस्से की भूमि की जमाबंदी पक्षकारों के बीच कायम करने/संशोधित करने का आदेश दिये जाने में प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित होती है। चूँकि लगान निर्धारण मामले में मात्र लगान निर्धारण संबंधी आदेश पारित किये जाने के पश्चात् प्रक्रियात्मक तरीके से अंचलाधिकारी के समक्ष नामांतरण के माध्यम से जमाबंदी सृजित किये जाने की परिपाटी है। इस प्रकार भू–लगान निर्धारण मामले में अपर समाहर्त्ता द्वारा जमाबंदी कायम करने का आदेश विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है।<br><br>बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 अध्याय VII ''जमाबंदी का रद्दीकरण'' (Cancellation of Jamabandi) की धारा 9 की उपधारा 7 (a) स्पष्टतः जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित है जो प्रस्तुत वाद में पोषणीय नहीं है। जबकि विपक्षी सं0–03 से 08 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम अथवा Bihar Board's Miscellaneous Rules 1958 के अंतर्गत भू–लगान निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि भू–लगान निर्धारण की कार्यवाही B.T. Act 1885 की धारा 158 (C) के अंतर्गत भूमि सुधार | |

Web Copy, Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इनके आदेश के विरूद्ध उक्त धारा के अंतर्गत समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के समक्ष अपील का<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>19.10.2023 | प्रावधान निरूपित है। समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अथवा पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका कोई खंडन नहीं किया गया। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी इस तथ्य पर सहमति जतायी गई।<br>अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद के गुण–दोष (Merit) पर बिना विचार किये इसे इस न्यायालय में ''पोषणीय नहीं'' (Not Maintainable) पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें।<br>लेखापित एवं शुद्धित।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ | |

Web Copy. Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Web Copy. Not Official.